फा. सं. नीपा/प्रशासन/आर ओ/ परिपत्र/030/2018-19
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान
17-बी, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली- 110016

27अप्रैल, 2021

परिपत्र

विषय: नोवेल कोरोनावायरस (कोविड -19) के प्रसार को रोकने के लिए किए जाने वाले निवारक उपाय -नीपा के कार्मिकों की उपस्थिति।

कोविड -19 महामारी की स्थिति के दौरान समूह 'ख'और 'ग'कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में इस कार्यालय के सम संख्यकपरिपत्र दिनांक 16.4.2021के क्रम में,नीपा के सक्षम प्राधिकारी ने गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 15.4.2021 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश दिनांक 19.4.2021 के अनुसरण में निर्णय लिया है कि संस्थान के सभी आवश्यक कार्य/गतिविधियाँ निर्बाध रूप से जारी रहेंगी।

आवश्यक गतिविधियों में निरंतर बिजली और पानी की आपूर्ति, इंटरनेट सेवाएं, सेवारत कर्मचारियों को वेतन का समय पर भुगतान, पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को पेंशन और अध्येताओं कोअध्येतावृत्ति, संविदा/अस्थायी कर्मचारियों को वेतन, चिकित्सा अग्रिम, जी.पी.एफ निकासी आदि शामिल हैं।

इस संबंध में, सभी अनुभागीय अध्यक्षों/प्रभारी को सलाह दी जाती है कि वे संस्थान के व्यापक हित और कोविड-19 महामारी की स्थिति से कार्मिकों की सुरक्षा हेतु आवश्यक गतिविधियों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अपने स्तर पर प्रशासन में कार्यरत नियमित और साथ ही अस्थायी कर्मचारियों की उपस्थिति बनाए रखें।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

27/4/2021

(डॉ. संदीप चटर्जी)
कुलसचिव

सेवा में

प्रशासन में नियुक्त सभी गैर-शिक्षण कर्मचारी और परियोजना कर्मचारी

प्रति:

- माननीय कुलपति केनिजी सचिव
- कुलसचिव के निजी सहायक
- सभी अनुभागीय अध्यक्ष/प्रभारी
- सिस्टम एनालिस्ट –परिपत्र को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए अनुरोध के साथ
- सूचना पट्ट
- कार्यालय आदेश फाइल
- मास्टर फाइल